(279)

II/निग०/रीवा/2018/01404

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा (म 0 प्र 0)

Rs 30/-

त्रिवेणी प्रसाद यादव तनय स्व 0 श्री गंगा प्रसाद यादव निवासी ग्राम– रामनई तहसील – रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म 0 प्र 0 –निगरानीकर्ता

बनाम

1:– मुन्ना यादव तनय स्व 0 श्री ददन प्रसाद यादव

2:– कासी प्रसाद यादव तनय स्व 0 श्री ददन प्रसाद यादव

3:– सुनीता यादव पत्नी स्व 0 श्री सुग्रीव प्रसाद यादव

4:– सुनील यादव तनय स्व 0 श्री सुग्रीव यादव

सभी निवासी – मोहल्ला ढेकहा रीवा तहसील जिला रीवा म0 प्र 0

———————— गैरनिगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री आदित्य मिश्र द्वारा पेश 26.7.18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री मान राजस्व निरीक्षक महोदय रायपुर कर्चु0 तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म 0 प्र 0 के सीमांकन प्रकरणकमांक 12 / अ 12 / 2017 / 2018 मे सीमांकन पुष्टि आदेश दिनांक 20 / 02 / 2018

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र 0 भू0 रा0सं0 1959 ई 0

मान्यवर,

<u>निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–</u>

1:– यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर कर्चुलियान तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा म0 प्र 0 द्धारा ग्राम रामनई तहसील – रायपुर

त्रिवेणी प्रसाद यादव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2018 / 01404 जिला–.रीवा

त्रिवेणी प्रसाद यादव / मुन्ना यादव वगैरः

(1)	(2)
18-12-18–	1. आवेदक की ओर से श्री आदित्य सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, रायपुर कर्चु0 तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 12 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16.02.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। (हस्ताक्षर) सदस्य